

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर(भीलवाडा)

कालु पिता भीमशंकर सांसी नि. कंजर कॉलोनी वगैराह

बनाम

अंगद कुमार पिता छोगालाल कंजर नि. कंजर कॉलोनी वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 55 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
12.04.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पण्डेर प. ह. पण्डेर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 4871 कुल किता 1 रकबा 1.7806 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पण्डेर प. ह. पण्डेर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 4871 कुल किता 1 रकबा 1.7806 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000-रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
कमांक / रीडर / 2023 / 55 / 2023 दिनांक :- 12.04.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 55 / 23 अनवान कालु पुत्र भीमशंकर सांसी, राहुल पुत्र भीमशंकर सांसी, गुड्डी पुत्री भीमशंकर सांसी, रेखा पुत्री भीमशंकर सांसी निवासी कंजर कोलोनी बनाम अंगद कुमार पुत्र छोगालाल कंजर, ओमप्रकाश पुत्र छोगालाल कंजर, श्रीधर पुत्र रघुवीर कंजर, देवधर पुत्र रघुवीर कंजर, अर्जुन पुत्र भँवरिया कंजर, कोलोनी पुत्र ज्वारा कंजर, चन्द्रप्रकाश पुत्र लक्ष्मण कंजर, भीलवाडा पुत्र ज्वारा कंजर, रवि पुत्र लक्ष्मण कंजर, शेरू पुत्र लक्ष्मण कंजर, सन्तुलाल पुत्र ज्वारा कंजर, सांगानेर पुत्र ज्वारा कंजर, हाल पुत्र ज्वारा कंजर, अजय पुत्र मदनलाल कंजर, आकाश पुत्र मदनलाल कंजर, जयसिंह पुत्र मदनलाल कंजर, पोखर पुत्र जीवनलाल कंजर, श्यागलाल पुत्र मदनलाल कंजर, हंसराज पुत्र मदनलाल कंजर निवासी कंजर कोलोनी पण्डेर वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम पण्डेर प. ह. पण्डेर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 4871 कुल किता 1 रकबा 1.7806 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)